कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 2064 /मीरजापुर/ 15 दिनांक मीरजापुर, दिसम्बर 14, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,मीरजापुर।

विषय– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित मीरजापुर वन प्रभाग की 37.51 हे0 (विभिन्न प्रभागों की कुल 319.28 हे0) आरक्षित वन भूमि की 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को प्रदान की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त पारेषण लाइन के नवीनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ– 1– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्र संख्या–1073/11–सी–**FP/UP/TRANS/32650/2018**, लखनऊ, दिनांक 28.09.2021 ।

2– आपका कार्यालय पत्रांक–1586/ मीरजापुर/33 दिनांक 29.09.2021 ।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रभागवार आपत्तिया इंगित करते हुये उनके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त इंगित की गयी मीरजापुर वन प्रभाग से सम्बन्धित कमियों का निराकरण करते हुये आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेंतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क0सं0	प्रस्ताव में उठायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	2	3
1–	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्ड कापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमांक–9 तथा ऑनलाइन भाग–2 के कमांक –12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है , जो कि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्डकापी भाग– 2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु में अंकित आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि " चूकिं भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नही हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है "। बैठक में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/मी0क्षे0/33 दिनांक 11.10.2021 की छाया प्रति संलग्न है। अतः हार्ड कापी भाग–2 को सही कर दिया गया है तथा ऑनलाइन भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नही है।
2–	ऑनलाइन भाग–2 के Additinal Information Detail के कमांक–4, 19 एवं 30 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपेन नही हो रहा है।	ऑनलाइन भाग–2 के Additinal Information Detail के कमांक–4, 19 एवं 30 को डिलिट कर सही ढंग से पुनः अपलोड कर दिया गया है।
3–	ऑनलाइन भाग–2 के Additinal Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण हार्डकापी भाग–2 को डिलिट नही किया गया है।	ऑनलाइन भाग–2 के Additinal Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण हार्डकापी भाग–2 को डिलिट कर दिया गया है।

4–	ऑनलाइन भाग–2 के Additinal Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को डिलिट नही किया गया है।	ऑनलाइन भाग–2 के Additinal Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को डिलिट कर दिया गया है।
5–	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नही की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है जो कि औचित्यपूर्ण नही है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र , जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्नकर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु में अंकित आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूकिं भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नही हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है"। बैठक में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/मी0क्षे0/33 दिनांक 11.10.2021 की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार (4 प्रतियों में)।

भवदीय,

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 2064 **अ/समदिनांक**

1. प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **संलग्नक– उपरोक्तानुसार।**
2. प्रतिलिपि–अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र , तलबल हाइडिल कालोनी, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

400के0वी0अनपरा वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन में में प्रभावित होने वाले कुल 319.28हे0 (रेनुकूट वन प्रभाग 98.28हे0, ओबरा वन प्रभाग 113.048हे0, सोनभद्र वन प्रभाग 15.79हे0, मीरजापुर वन प्रभाग 37.51हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग 54.652हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक–06.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र, प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट व प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर उपस्थित रहे। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के पत्र संख्या–165/वि0प्रे0ख0–गा0/ दिनांक–01.02.2021 में उल्लिखित बिन्दु (जिसमें लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।) पर प्रभागीय वनाधिकारियों से विचार–विमर्श के दौरान प्रकाश में आये तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है।
2. भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) के क्रम में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–जी0आई0 444/14–2–93–707/89 दिनांक–23.02.1994 द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 319.28हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष हेतु लीज पर दिया गया था। जिसकी लीज अवधि दिनांक–22.02.2014 को समाप्त हो चुकी है।
3. लीज समाप्त होने के उपरान्त लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित किया गया है। राजस्व क्षति को दृष्टिगत सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा लीज समाप्ति की तिथि दिनांक–22.02.2014 को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रेट सर्किल दर के अनुसार लीज रेंट का निर्धारण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी से लीज रेंट का भुगतान करनें का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज रेंट का भुगतान लगातार किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित मत स्थिर किया गयाः–

चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

पत्रांकः सा0– 1824 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 11, 2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, सोनभेद्र, रेनुकूट, मीरजापुर एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।